

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बोधगया।

पटना, दिनांक-30/11/18

विषय:- AMRUT योजना अन्तर्गत नगर पंचायत बोधगया में चिल्ड्रेन पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, गया का पत्रांक-276 दिनांक-17.11.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।

प्राक्कलन के जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति की राशि निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹ लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)
1.	AMRUT योजना अन्तर्गत नगर पंचायत बोधगया में चिल्ड्रेन पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य।	62.19 (SLTC द्वारा प्रदत्त)	अनुसूचित मद की राशि - 28.138 गैर अनुसूचित मद की राशि- 34.05 तकनीकी स्वीकृति 62.188

फलतः उक्त योजना के अनुसूचित मद के लिए परिमाण विपत्र (BOQ) उपलब्ध कराया जाय एवं गैर अनुसूचित मद के लिए GEM PORTAL से क्रय किया जाय।

अतः उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन




अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्राथमिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- AMRUT योजना अन्तर्गत नगर पंचायत बोधगया में चिल्ड्रेन पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 62,19,000/- (बासठ लाख उन्नीस हजार) रुपये मात्र। SLTC द्वारा प्रदत्त।
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 62,18,800/- (बासठ लाख अठारह हजार आठ सौ) रुपये मात्र।
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाएगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित किया जाय।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित किया जाय।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(vii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(viii) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(ix) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(x) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xi) विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
(xii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्वॉरी से ही लाए गए स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित किया जाय।


30/11/18
अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।